

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2665

जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

बिजली की कमी की जांच

2665. श्री नारणभाई जे. राठवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने आज तक बिजली की कमी में सरकारी कर्मचारियों एवं प्राईवेट कंपनियों की भूमिका की कोई जांच नहीं की है जिसके कारण बिजली की कमी को आज तक पूरा नहीं किया जा सका है;
- (ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है एवं किन कारणों से जांच नहीं की जा सकी है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में की गई जांच के परिणाम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। सभी उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराना संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। वर्तमान में देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 358 गीगावाट है जो देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। राज्यों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दी गई सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय आधार पर मांग और आपूर्ति के बीच अंतर 1 प्रतिशत से कम है। 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा चालू वर्ष अर्थात 2019-20 (जून, 2019 तक) के दौरान ऊर्जा कमी क्रमशः 0.7 प्रतिशत, 0.7 प्रतिशत, 0.6 प्रतिशत तथा 0.4 प्रतिशत थी। यह अंतर सामान्यतः वितरण नेटवर्क में बाधाओं, वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत खरीदने के लिए वित्तीय कठिनाईयों आदि जैसे घटकों के कारण है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2666

जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

'उदय' का कार्यान्वयन

2666. श्री मो. नदीमूल हकः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 'उदय' के अंतर्गत अब तक समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लक्ष्य को पूरा करने वाले राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों तक का ब्यौरा क्या है;
- (ख) 'उदय' के अंतर्गत आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और अब तक प्राप्त औसत राजस्व के बीच अंतर को कम करने वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या 'उदय' के तहत अधिकांश डिस्कॉमों वितरण कंपनियों की स्थापना लागत अब भी अधिक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या सरकार ने स्थापना लागतों के लिए अब तक मानक तैयार नहीं किए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों के स्तर बनाम उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के लक्ष्यों का ब्यौरा उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अनुबंध-I में दिया गया है। आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) तथा वसूले गए औसत राजस्व (एआरआर) के बीच अंतर कम करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) : उदय राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, विद्युत खरीद लागतें सकल स्तर पर डिस्कॉम लागतों की 77.9 प्रतिशत हैं। इस प्रकार, स्थापना लागतें डिस्कॉम लागतों को सबसे अधिक बढ़ाने वाली लागतें नहीं हैं। स्थापना लागतों सहित सभी अन्य लागतों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है। डिस्कॉमों की स्थापना लागतें भौगोलिक स्थिति, उपभोक्ताओं की संख्या, प्रणाली द्वारा संभाली गई ऊर्जा, उपभोक्ताओं का घनत्व, स्थानीय परिस्थितियां, क्षेत्र आदि सहित कई घटकों पर निर्भर करती हैं। डिस्कॉमों की स्थापना लागतों संबंधी रिपोर्ट पर मंत्रालय में विचार-विमर्श किया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

राज्य सभा में दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2666 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**उदय के अंतर्गत एटीएंडसी हानियों के लक्ष्य और उपलब्धि का राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा**

क्रम सं.	मानदंड	यूनिट	आधार वर्ष उपलब्धि आंकड़े (2015-16)	लक्ष्य 2018-19	उपलब्धि 2018-19
1	आंध्र प्रदेश	(% में)	9.41	8.95	13.41
2	अरुणाचल प्रदेश	(% में)	64.27	39	आंकड़े प्रदान नहीं किए गए
3	असम	(% में)	25.51	16.1	21.14
4	बिहार	(% में)	43.74	21	27.39
5	छत्तीसगढ़	(% में)	21.79	15	23.28
6	दादरा और नगर हवेली	(% में)	-	7	7.95
7	दमन और दीव	(% में)	13.25	8.3	9.37
8	गोवा	(% में)	17.12	15	26.03
9	गुजरात	(% में)	15.04	13	12.59
10	हरयाणा	(% में)	29.83	15	17.45
11	हिमाचल प्रदेश	(% में)	12.92	12.75	8
12	जम्मू और कश्मीर	(% में)	61.6	25	49.76
13	झारखंड	(% में)	34.71	15	31.95
14	कर्नाटक	(% में)	14.94	14.02	14.1
15	केरल	(% में)	16.03	11	10.83
16	मध्य प्रदेश	(% में)	23.97	17	31.9
17	महाराष्ट्र	(% में)	19.07	14.98	17.34
18	मणिपुर	(% में)	44.21	15	22.55
19	मेघालय	(% में)	36.48	21.5	37.76
20	पुडुचेरी	(% में)	19.88	12	16.41
21	पंजाब	(% में)	15.9	14	12.04
22	राजस्थान	(% में)	30.41	15	21.29
23	सिक्किम	(% में)	38.06	15	आंकड़े प्रदान नहीं किए गए
24	तमिलनाडु	(% में)	14.58	13.5	14.02
25	तेलंगाना	(% में)	13.95	10	11.77
26	त्रिपुरा	(% में)	20.94	20	15.24
27	उत्तर प्रदेश	(% में)	26.47	19.36	24.64
28	उत्तराखंड	(% में)	17.19	14.5	12.64
	<b>उदय राज्यों का औसत</b>	<b>(% में)</b>	<b>20.8</b>		<b>18.29</b>

टिप्पणी: उपर्युक्त आंकड़े उदय पोर्टल पर राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनंतिम आंकड़ों पर आधारित हैं।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2666 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

### उदय अवधि के दौरान एसीएस-एआरआर अंतर घटाने वाले राज्यों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	आधार वर्ष आंकड़ा (31.03.2016) अंतर (₹./केडब्ल्यूएच)	2018-19 के लिए अंतर (₹./केडब्ल्यूएच)
1	आंध्र प्रदेश	0.82	0.39
2	असम	0.58	0.41
3	बिहार	0.65	0.41
4	छत्तीसगढ़	0.18	0.04
5	गोवा	1.5	0.88
6	गुजरात	-0.02	-0.05
7	हरियाणा	0.18	-0.05
8	जम्मू और कश्मीर	2.55	2.13
9	झारखंड	1.22	0.54
10	कर्नाटक	0.06	-0.03
11	मध्य प्रदेश	0.92	0.88
12	महाराष्ट्र	0.3	-0.04
13	मणिपुर	1.31	0.24
14	मेघालय	0.88	0.68
15	पुडुचेरी	0.03	-1.21
16	पंजाब	0.53	0.05
17	राजस्थान	1.65	-0.58
18	तमिलनाडु	0.6	0.5
19	त्रिपुरा	0.24	0.05
20	उत्तर प्रदेश	0.88	0.22

टिप्पणी: उपर्युक्त आंकड़े 08.07.2019 की स्थिति के अनुसार उदय पोर्टल पर दिए गए राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनंतिम/लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित हैं।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2666 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2018-19 में स्थापना लागत सहित अन्य सभी लागतों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19 में स्थापना लागत सहित डिस्कॉमों की अन्य सभी लागतें (करोड़ रुपए में)	2018-19 में डिस्कॉमों का कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
आंध्र प्रदेश	4601.25	36,540
असम	1006.29	6,463
बिहार	1105.75	16,512
छत्तीसगढ़	1905.92	15,754
दादर और नगर हवेली	32.42	3,061
दमन और दीव	36.04	985
गोवा	379.66	1,947
गुजरात	3875.39	45,172
हरियाणा	3202.6141	32,543
हिमांचल प्रदेश	2008	7,100
जम्मू कश्मीर	1020.39	7,079
झारखंड	993.63	6,800
कर्नाटक	5226.73	41,953
केरल	4236.54	14,619
मध्य प्रदेश	7378.65	41,521
महाराष्ट्र	13641.65	82,586
मणिपुर	90.92	533
मेघालय	75.88	738
पुडुचेरी	164.66	1,451
पंजाब	8055.34	31,489
राजस्थान	7287.71	52,661
तमिलनाडु	6479.47	50,767
तेलंगाना	2891.9839	38,799
त्रिपुरा	294.51	1,438
उत्तर प्रदेश	4290.66	63,799
उत्तराखंड	542.66	6,425

**टिप्पणी 1:** उपर्युक्त आंकड़े दो राज्यों (मेघालय और तमिलनाडु) द्वारा 2018-19 की तीसरी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2019 की चौथी तिमाही तक 24 राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर आधारित

**टिप्पणी 2:** उपर्युक्त आंकड़े उदय पोर्टल पर राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनंतिम आंकड़ों पर आधारित हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2667

जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में पारेषण और वितरण संबंधी हानि

2667. श्री टी. जी. वेंकटेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में हो रही पारेषण और वितरण संबंधी हानियों पर ध्यान दिया है जो विद्युत कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा बन रही हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने कारणों की पहचान कर ली है;
- (घ) विद्युत क्षेत्र में पारेषण और वितरण संबंधी हानियों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा उदय पोर्टल पर डाले गये आकड़ों के अनुसार, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटीयों ने अपनी सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियां 2015-16 में 20.80 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में घटाकर 18.76 प्रतिशत करने की सूचना दी है।

(ग) : एटीएण्डसी हानियों का मुख्य कारण मौजूदा लाइनों और उप-स्टेशन उपकरणों की ओवरलोडिंग, लो एचटी:एलटी लाइनों का अनुपात, उपस्करों की खराब मरम्मत और रख-रखाव, कम मीटरिंग/बिलिंग/वसूली क्षमता तथा विद्युत की चोरी तथा छिटपुट चोरी/मीटरों के साथ छेड़छाड़ है।

(घ) और (ङ) : वितरण नेटवर्क में एटीएण्डसी हानियों को कम करने का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत विभाग/यूटिलिटीयों का होता है। भारत सरकार ने राज्यों को उनकी वितरण अवसंरचना प्रणालियों तथा डिस्कामों के प्रबंधन में सुधार करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी विभिन्न स्कीमों की शुरुआत की है ताकि एटीएण्डसी हानियों को कम किया जा सके। एटीएण्डसी हानियों को कम करने के लिए आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई स्कीमों के अन्तर्गत परियोजनाओं में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सृजन/संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, वितरण अवसंरचनाओं का आईटी सक्षमीकरण सहित भूमिगत (यूजी) और एरियल बंचड (एबी) केबल इत्यादि परिकल्पित हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2668

जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

नए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

2668. डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मंत्रालय द्वारा विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) के माध्यम से स्थापित किए गए नए प्रशिक्षण केन्द्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों में इन संस्थानों में कितने लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इन प्रशिक्षित कार्मिकों में से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से हैं; और
- (ग) क्या मंत्रालय की योजना ऐसे और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी अवस्थिति तथा स्थापना की अनुमानित निधि संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई) के जरिए कोई नया प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, 2013-14 में एनपीटीआई की दो नई शाखाएं/इकाइयां, एक अलप्पुझा (केरल) में तथा दूसरी शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में स्वीकृत की गई हैं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : वर्तमान में, एनपीटीआई के अधीन और ऐसे प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2669

जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

देश में गांवों का विद्युतीकरण

2669. श्री हरनाथ सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी गांवों में मार्च, 2019 तक बिजली पहुंच गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अगले एक वर्ष के दौरान कितने जिलों और गांवों में बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28.04.2018 की स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण देश में सभी आवासित जनगणना गांवों का विद्युतीकरण हो गया है।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2670

जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

पड़ोसी देशों को विद्युत निर्यात

2670. श्री टी. के. रंगराजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों को विद्युत का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से देशों में विद्युत का निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) कितनी बिजली का निर्यात किया गया और निर्यात वसूली का मूल्य क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को विद्युत का निर्यात किया जाता है। भूटान भारत के लिए एक निवल निर्यातक है, तथापि, कभी-कभी भूटान कम पानी के मौसम के दौरान भारत से विद्युत का आयात करता है। 2018-19 के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को क्रमशः 2798.84 मिलियन यूनिट (एमयू), 5690.31 एमयू तथा 6.61 एमयू ऊर्जा का निर्यात किया गया था। भूटान ने भारत में विभिन्न विद्युत निकायों को 4657.07 एमयू की आपूर्ति की है।

इन देशों को विद्युत का निर्यात पड़ोसी देशों के निकाय (निकायों) के साथ भारतीय विद्युत निकायों द्वारा किए गए विद्युत क्रय करारों (पीपीए) की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार, मूल्य की दृष्टि से विद्युत के निर्यात की प्राप्ति भी संविदा करने वाले विद्युत निकायों के बीच निपटाई जाती है और उसकी वसूली सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2671

जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी संयंत्र, लारा द्वारा कोयले की खपत

2671. श्री प्रसन्न आचार्य:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ओडिशा की सीमा से सटे छत्तीसगढ़ के लारा में अवस्थित एनटीपीसी की ताप विद्युत परियोजना में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में कोयले की खपत होती है और कोल इंडिया की कौन-सी सहायक कंपनी लारा संयंत्र को कोयले की आपूर्ति करती है; और
- (ख) इस संयंत्र तक कोयले की आपूर्ति परिवहन के किस साधन द्वारा की जाती है और कोयले के परिवहन में नियोजित भारी वाहनों की संख्या क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : एनटीपीसी लारा स्टेज-1 (2x800 मेगावाट) की इकाईयों ने अभी वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है। तथापि, आज की तिथि के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में यूनिट 1 की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख (सीओडी) से गतिविधियों को हासिल करने के लिए एनटीपीसी के स्वामित्व वाली खानों से प्राप्त कोयले की खपत लगभग एक लाख टन है। 85 प्रतिशत संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर सीओडी हासिल करने के पश्चात एनटीपीसी द्वारा लारा स्टेज-1 के लिए वार्षिक कोयला खपत लगभग 7.15 मिलियन मीट्रिक टन होगी। यह विद्युत परियोजना एनटीपीसी को आबंटित तलाईपल्ली कोयला खान से लिंक है तथा महानदी कोल लिमिटेड (एमसीएल) तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) से टेपरिंग ब्रिज लिंकेज है।

(ख) : एनटीपीसी द्वारा लारा के लिए कोयले की ढुलाई का परिकल्पित तरीका तलाईपल्ली कोयला खान से मैरी-गो-राउंड (एमजीआर) सिस्टम के जरिए है। वर्तमान में एमजीआर सिस्टम निर्माणाधीन है। यूनिटों का वाणिज्यिकीकरण होने के पश्चात कोयले की ढुलाई आवश्यकता और व्यवहार्यता के अनुसार रेल और/अथवा सड़क मार्ग से की जाएगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2673

जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का विनिवेश

2673. डॉ. संजय सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की विनिवेश योजना सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने नीपको में 100 प्रतिशत तथा टीएचडीसी में 75 प्रतिशत सरकारी शेयर होल्डिंग में से 25 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश के माध्यम से सूचीबद्धता को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने 69.74 प्रतिशत सरकारी शेयर होल्डिंग में से एनटीपीसी के 10 प्रतिशत तक प्रदत्त इक्विटी पूंजी की बिक्री (ओएफसी) के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है जिसमें से भारत सरकार ने अगस्त 2017 में 6.63 प्रतिशत का विनिवेश किया और भारत सरकार ने 9117.92 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की।

(ग) : विनिवेश निम्नलिखित तरीके से सीपीएसई और सरकार की भी सहायता करता है:

- (i) स्टॉक एक्सचेंज सीपीएसई के सूचीबद्ध करने सहित माइनोंरिटी स्टोक बिक्री, जनता के स्वामित्व को बढ़ावा देता है तथा अपने शेयरधारकों के प्रति जवाबदेही के जरिए सीपीएसई की दक्षता सुधारता है।
- (ii) त्वरित आर्थिक विकास के लिए सीपीएसई में लोक निवेश का दक्ष प्रबंधन तथा अधिक व्यय के लिए सरकार के संसाधनों को बढ़ाना।
- (iii) यह कार्यनीतिक विनिवेश के जरिए सीपीएसई में प्रचालनात्मक दक्षता लाता है और अर्थव्यवस्था के लिए उनका अधिक योगदान सुनिश्चित करता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2674

जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र परिषद् का गठन

2674. श्री सुशील कुमार गुप्ता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की कार्य योजना के अंतर्गत संघ और राज्य के मध्य मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार की एक विद्युत क्षेत्र परिषद् स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् की संरचना क्या होगी; और

(ग) संघ और राज्य सरकारों के लिए एक समान एजेंडा तय करने और सभी के लिए चौबीसों घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी नहीं। विद्युत मंत्रालय की कार्रवाई योजना के भाग के रूप में संघ और राज्यों के बीच मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत क्षेत्र परिषद् स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) : भारत के संविधान के तहत विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। देश में विद्युत की स्थिति में सुधार करने, सभी को चौबीसों घंटे विद्युत सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में विभिन्न योजनाओं जैसे डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, उदय और सौभाग्य के जरिए काफी उपाय किए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा करने तथा विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रालय राज्य सरकारों के विद्युत विभागों और राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के साथ समीक्षा आयोजना तथा निगरानी (आरपीएम) बैठक करता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन भी नियमित आधार पर आयोजित किया जाता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2675

जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र के पीएसयू द्वारा अनुसंधान और विकास गतिविधियां

2675. श्री हिशे लाचुंगपा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने लाभ का कुल कितना प्रतिशत अनुसंधान और विकास गतिविधियों में उपयोग किया जा रहा है;

(ख) इन उपक्रमों द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियों की विभिन्न परियोजनाओं और उपलब्धियां परियोजना-वार विवरण क्या है; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर अपने कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 0.39 प्रतिशत से 3.07 प्रतिशत के बीच खर्च कर रहे हैं।

(ख) और (ग) : विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं/कार्यकलापों का ब्यौरा, उनकी उपलब्धियों सहित, अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2675 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं/कार्यकलाप	
	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं/कार्यकलाप	उपलब्धियां
<b>नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको)</b>		
1.	कोपिली एचई प्लांट (275 मेगावाट), असम/मेघालय में कॉरीजन और स्केलिंग को नियंत्रित करने के लिए अध्ययन	अनुसंधान से सिद्ध हुआ कि क्विक लाइम (सीएओ) में सबसे अधिक न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी है।
2.	पारे एचई प्रोजेक्ट (110 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश में सॉफ्ट टरसियरी रॉक के डिफॉर्मेशन मॉड्यूलस की जांच	पूरी की गई और आंकड़ों की निगरानी जारी है।
3.	कामेंग एचई प्रोजेक्ट (600 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश के जलाशय में नदी अंतर्प्रवाह/बहिस्साव का अनुमान लगाने के लिए ऐप्लिकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस (जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम)	आर्क जीआईएस प्लेटफार्म में एचईसी-जीईओएचएमएस, एचईसी-जीईओआरएस और एचईसी-एचएमएस मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए कामेंग कैचमेंट एरिया के लिए मॉड्यूल सृजित किए गए हैं। (एचईसी-हाइड्रोलॉजिक इंजीनियरिंग सेंटर, एचएमएस-हाइड्रोलॉजिक मॉडलिंग सिस्टम)
4.	कोपिली हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट (275 मेगावाट), असम/ मेघालय में विभिन्न जलाशय स्तर के अंतर्गत टरबाइन दक्षता का आंकन	रिपोर्ट से यह पाया गया है कि सभी टरबाइन यूनिटें औचित्यपूर्ण दक्षता के आसपास प्रचालनरत हैं।
5.	उमरांगसो में कोपिली एचई प्लांट में रिस्पांसिबल स्ट्रीम की एसिडिटी की कमी का अध्ययन	आर्थिक विश्लेषण से यह पाया गया था कि डाईएथिल एमिन सबसे लागत प्रभावी पाया गया है।
<b>नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी लि.)</b>		
1.	पुरानी कंक्रीट के साथ हाई परफॉर्मंस कंक्रीट की बांडिंग संबंधी अध्ययन	आरएंडडी परियोजना मई, 2018 में पूरी की गई।
2.	तीस्ता-IV प्रोजेक्ट के लिए रिमोट सेंसिंग बेस्ड सेडिमेंटेशन अध्ययन	अनुसंधान परियोजनाएं अभी पूरी की जानी हैं।
3.	सुबानसिरी लोअर एचई प्रोजेक्ट के लिए कम्प्यूटेशनल फ्लड डायनामिक्स (सीएफडी) सॉफ्टवेयर फ्लो3डी द्वारा हाई हेड स्पिल्वे में कैविटेशन से संबंधित अध्ययनों सहित हाइड्रोलिक अध्ययन	

4.	हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर चमेरा-1 विद्युत स्टेशन के जलाशय से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जनों का मापन	
5.	तीस्ता-V विद्युत स्टेशन में ऑनलाइन कैविलेशन मॉनीटरिंग सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापन, टेस्टिंग और चालू करना	
<b>पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)</b>		
1.	1200 केवी नेशनल टेस्ट स्टेशन की स्थापना: 1200 केवी यूएचवीएसी प्रणाली विकास	स्वदेशी 1200 केवी उपस्कर विकसित किए गए।
2.	सब-स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम में प्रोसेस-बस आर्किटेक्चर का विकास	एक सब-स्टेशन के एक बे में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।
3.	नेटवर्क सिन्क्रोरिटी पर केंद्रित प्रोसेस बस पायलट संस्थापन संबंधी वुलनेराबिलिटी एसेसमेंट स्टडीज	अध्ययन पूरा कर लिया गया है।
4.	ट्रांसफार्मर की सुरक्षा और नियंत्रण के लिए केबिलों में कमी के लिए आईईसी 61850 आधारित योजना का विकास	सफलतापूर्वक विकास के बाद, नई योजना को तकनीकी विनिर्दिष्टियों में शामिल कर लिया गया है।
5.	लाइटनिंग के कारण ट्रिपिंग को न्यूनतम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन एरेस्टर शुरू करना और मूल्यांकन करना	सफलतापूर्वक संस्थापन के पश्चात, दूसरी लाइनों में भी इसी प्रकार के और एरेस्टर लगाए जा रहे हैं।
6.	दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के प्रदूषण मैप का विकास	प्रदूषण मैप विकसित किया गया और इंसुलेटर डिजाइन के लिए राज्य पारेषण यूटिलिटीयों/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ साझा किया गया।
7.	बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम संबंधी पायलट प्रोजेक्ट	एडवांस्ड लेड एसिड एंड लीथियम आयरन फॉस्फेट पूरा कर लिया गया।
8.	ऐप्लिकेशन ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल - ट्रांसमिशन लाइन रूटिंग	जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल्स का प्रयोग करते हुए नई ट्रांसमिशन लाइन रूटिंग के लिए पायलट परियोजना पूरी की गई।
9.	800 केवी ट्रांसफार्मरों और रिएक्टरों के लिए आरआईपी बुशिंग का विकास	विकसित
10.	विंड जोन 4 (47) में 400 केवी मल्टी सर्किट टावर टाइप क्यूए और क्यूडी का डिजाइन और विकास	टावर का डिजाइन किया गया, प्रोटो विकसित किया गया तथा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
11.	765 केवी डी/सी टावर्स डीबी एंड डीसी टाइप (वर्टिकल कंपीगेशन) (विंड जोन-3) का प्रोटो विकास और जांच	टावर का डिजाइन किया गया, प्रोटो विकसित किया गया तथा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
12.	400 केवी मल्टी सर्किट टावर (विंड जोन-4 के लिए क्वाड मूस कंडक्टर सहित टाइप क्यूडी) का प्रोटो विकास और परीक्षण	टावर का डिजाइन किया गया, प्रोटो विकसित किया गया तथा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

13.	एचवीडीसी स्टेशन में एयर कोर रिएक्टर का स्वदेशी विकास, परीक्षण और संस्थापन	विकास सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
14.	फॉल्ट करंट लिमिटर लागू करना।	सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
15.	ट्रांसमिशन सिस्टम में इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैलिडेशन	765 केवी/400 केवी/220 केवी लाइनों का अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के तहत अध्ययन किए गए और डिजाइन वैलिडेट किया गया।
16.	33 केवी मोबाइल कैपेसिटर बैंक का विकास और चालू करना	सफलतापूर्वक विकसित किया गया और फील्ड मूल्यांकन पूरा किया गया।
<b>पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको)</b>		
1	एनएवीआईसी (नेवीगेशन विद इंडियन कांसटीलेशन) रिसीवर का मुख्य परियोजना विकास	इसरो ने दादरी सब स्टेशन में प्राथमिकता आधार पर जीपीएस के स्थान पर एनएवीआईसी रिसीवर उपलब्ध कराया। इसके बाद माड्यूल सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।
2	नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के लिए डाटा मैनेजमेंट साफ्टवेयर	डाटा मैनेजमेंट साफ्टवेयर के अंतर्गत विकसित विभिन्न प्रकार के विकसित माड्यूल इस प्रकार हैं: <ul style="list-style-type: none"> <li>• द्विपक्षीय</li> <li>• विचलन निपटान तंत्र</li> <li>• हानियों की सूचना प्रदान करना</li> <li>• संचयी अन्तरण</li> <li>• क्षेत्रीय पारेषण लेखा</li> <li>• आरंभिक सेवाएं</li> </ul>
3	आटेमैटिक जेनरेशन कंट्रोल संबंधी मुख्य परियोजना का कार्यान्वयन	एनटीपीसी का दादरी चरण-II (2x490 मेगावाट) परियोजना के लिए चयनित किया गया था। मुख्य परियोजना का मॉक टेस्ट 29 जून, 2017 को सफलतापूर्वक किया गया था। 4 जनवरी, 2018 से चरण-II एनएलडीसी से आटेमैटिक जेनरेशन कंट्रोल मुख्य परियोजना के भाग के रूप में निरंतर प्रचालन कर रही है।
<b>टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड</b>		
1	हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर्स-एक्सपैरीमेंटल वर्क्स के लिए सेल्फ काम्पेक्टिंग कंक्रीट का विकास	अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि उन स्थानों पर कंक्रीट की गुणवत्ता में सुधार होगा जहां काम्पेक्शन पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।
2	टिहरी जलाशय के तटीय क्षेत्र से तलछट निकालना-जीआईएस माडलिंग एवं विश्लेषण (पुराना अध्ययन)	टिहरी बांध तटीय क्षेत्र के लिए रेन-फाल-रन ऑफ रिलेशनशिप प्राथमिक रूप से स्थापित किया गया था तथा यह तलछट निकालने के मूल्यांकन, टिहरी जलाशय बेसिन में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने तथा टिहरी जलाशय पर इसके मूल्यांकन के



		लिए उपयोगी है।
3	ग्रिड असंतुलन के अंतर्गत परिवर्तनशील स्पीड हाइड्रोइलेक्ट्रिक संयंत्रों के सक्रिय निष्पादन का विश्लेषण	अध्ययन के परिणामों से पता चला कि विद्युत हानियों के इष्टतमीकरण द्वारा टरबाइन के प्रचालन के दौरान 30% विद्युत बचत होती है।
4	टिहरी एवं केएचईपी की विभिन्न ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी	वार्षिक अध्ययन के परिणामों से टिहरी एवं कोटेश्वर एचईपी में सभी इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपस्करों की वास्तविक स्थिति का पता चला, जो इन परियोजनाओं की विश्वसनीयता तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
5	टिहरी एवं कोटेश्वर के लिए रोटरी मशीनों एवं सहायिकाओं का कंपन डाटा विश्लेषण	अध्ययन से मूल कारणों, कंपन स्तर में तीव्रता की जांच, रोटेटिंग संघटकों की विफलता के लिए रन-टाइम का पता लगाने तथा अंत में सुरक्षित प्रचालन के लिए निवारक उपाय अथवा कंपन नियंत्रक के डीजायन के निर्धारण में सहायता प्राप्त हुई।
6	टिहरी जलाशय के तटीय क्षेत्र के लिए सेटेलाइट आधारित रियल टाइम इनफ्लो फोरकास्टिंग सिस्टम की स्थापना	सिस्टम अब 24 घंटे के मुख्य समय के साथ टिहरी बांध तटीय क्षेत्र के लिए इनफ्लो फोरकास्टिंग में सक्षम है।
7	टिहरी/कोटेश्वर बांध की डाउनस्ट्रीम में अर्ली वार्निंग सिस्टम (ईडब्ल्यूएस)	टिहरी तथा कोटेश्वर बांध की डाउनस्ट्रीम में सम्पत्ति तथा कई प्राणियों की रक्षा करने के लिए विभिन्न पणधारकों की प्रतिक्रिया के लिए अग्रिम समय देकर एकदम सही चेतावनी देने में सक्षम।
<b>एसजेवीएनएल</b>		
1	सतलुज क्षेत्र के गाद प्रबंधन के लिए नीतिगत योजना तैयार करना	पूरी की गई।
2	बांध से जल की निकासी के लिए केन्द्रीय रूप से नियंत्रित आधुनिक चेतावनी प्रणाली	अध्ययन से प्राप्त परिणाम अपनाया गया।
3	सतलुज नदी के जल विज्ञान पूर्वानुमान का मॉडल विकसित करना	विकसित
<b>एनटीपीसी</b>		
1	यूनिट प्राइमरी फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया तथा रैम्प रेट में सुधार करने के लिए लचीले नियंत्रण की रिट्रोफीटिंग	विकसित/पूरी की गई
2	पल्स पावर सप्लाइ सहित ईएसपी विद्युत आपूर्ति में संशोधन के माध्यम से कोयला आधारित विद्युत संयंत्र में निकासी में कमी के लिए समाधान	
3	दादरी में 500 मेगावाट यूनिट पर पावर सिस्टम स्टैबलाइजेशन (पीएसएस) ट्यूनिंग	

4	ऐश चोकिंग मॉनिटरिंग प्रणाली	
5	जेनरेटर ओवरहैंग विन्डिंग्स की ऑनलाइन कंपनी निगरानी हेतु फाइबर ऑप्टिक वाइब्रेशन सेंसर का विकास	
6	हाइड्रो थर्मल ट्रीटमेंट द्वारा म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू) से उच्च गुणवत्ता ठोस ईंधन (01 टीपीडी) का उत्पादन	
7	एयर प्री हीटर्स में फ्लू गैस की ऑनलाइन तापमान निगरानी के लिए फाइबर ऑप्टिक तापमान सेंसर का विकास	
8	फलाई ऐश का उपयोग करके जियो-पॉलिमरिक रोड का विकास	
9	सिम्हाद्री में 120 टीपीडी फ्लू गैस आधारित डिसेलिनेशन प्लांट	

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2676

जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

सौर स्ट्रीट लैंप

2676. श्री संजय सेठ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से देशभर में कितने सौर स्ट्रीट लैंप्स लगाए जा चुके हैं; और

(ख) इनमें से कितने लैंप (मेक इन इंडिया) पहल के तहत भारत में विनिर्मित किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ऑफ-ग्रिड तथा विकेंद्रीकृत सोलर पीवी ऐप्लिकेशन्स स्कीम: फेज-II तथा अटल ज्योति योजना (अजय) जैसी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिनके तहत 01 अप्रैल, 2014 के बाद देश में कुल 3,95,810 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं।

(ख) : इन योजनाओं के अंतर्गत, केवल स्वदेशी विनिर्मित सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ये सोलर स्ट्रीट लाइटें स्वदेशी विनिर्माताओं द्वारा निर्मित की जाती हैं जिससे मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2677

जिसका उत्तर 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

एनआरईएस के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण

2677. श्री राजमणि पटेल:

डॉ. अमी यत्नाक:

डॉ. एल. हनुमंतय्या:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को अपनी राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (एनआरईएस) के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य के संबंध में कोई उपलब्धि हासिल हुई है;
- (ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) पिछले तीन वर्षों में इस योजना के तहत कवर किए गए गांवों की राज्यवार संख्या क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत गांवों को विद्युत के विवरण से संबंधित तौर-तरीकों का निर्धारण किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने गांवों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : नेशनल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम (एनआरईएस) नाम की कोई योजना नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित किए गए हैं। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28.04.2018 की स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण देश में सभी आवासित जनगणना गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2016-17 से 2018-19 के दौरान कुल 11,266 आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव विद्युतीकृत किए गए थे। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : गांवों के विद्युतीकरण के अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई योजना में गांवों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए उप-पारेषण और वितरण का सुदृढीकरण तथा फीडर पृथक्करण शामिल है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अप्रैल, 2019 से सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए हैं। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी स्कीमों के जरिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2677 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

आरई घटक सहित डीडियूजीजेवाई के दौरान पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किए गए गैर-विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	175	854	280	1,309
2	असम	1,218	572	-	1,790
3	बिहार	556	332	264	1,152
4	छत्तीसगढ़	294	348	31	673
5	हिमाचल प्रदेश	27	-	-	27
6	जम्मू और कश्मीर	5	35	62	102
7	झारखंड	1,104	613	116	1,833
8	कर्नाटक	14	25	-	39
9	मध्य प्रदेश	159	44	5	208
10	महाराष्ट्र	-	-	80	80
11	मणिपुर	121	77	93	291
12	मेघालय	681	218	151	1,050
13	मिजोरम	24	14	-	38
14	नागालैंड	76	2	-	78
15	ओडिशा	1,092	544	381	2,017
16	राजस्थान	263	1	-	264
17	त्रिपुरा	17	-	-	17
18	उत्तर प्रदेश	162	9	22	193
19	उत्तराखंड	18	43	30	91
20	पश्चिम बंगाल	9	5	-	14
कुल		6,015	3,736	1,515	11,266

\*\*\*\*\*